न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–झाबुआ

निगरानी–4714/2018/झाबुआ/भू.रा.

आनंदीलाल पुत्र श्री बरदीचंद पडियार
निवासी – मेघनगर तहसील मेघनगर
जिला – झाबुआ (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला झाबुआ (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 365/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.02.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4714/2018/झाबुआ/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 12-2-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेश इस निष्कर्ष के साथ यथावत रखा गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115,116 के आवेदन पत्र के संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसमें पटवारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट पेश की गई है । आवेदक द्वारा भी तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि पर अतिक्रमण स्वीकार किया गया है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	